

प्ररूप- 18

[नियम 18(5), 18(9) और 19(26)]

किसी बालक को किसी संस्था में भेजने संबंधी आदेश

(बालगृह/उपयुक्त सुविधा/एसएए)

मामला संख्या.....

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,

जबकि बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत देखरेख और बचाव अधीन(बालक का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री श्री....., आयु..... निवासी..... को, मास..... 201..... के दिन,अवधि के लिए, बाल गृह/ एसएए / उपयुक्त सुविधा..... में रखने का आदेश जारी करती है।

उपर्युक्त आदेश का कानूनानुसार अनुपालनार्थ, आपको कथित बालक को अपने प्रभार (उत्तरदायित्व) में लेने तथा उसे बाल गृह/उपयुक्त सुविधा/एसएए में रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। अनाथ या परित्यक्त बालक का मामला होने पर संबंधित कर्मचारी/अधिकारी इसका विवरण बाल खोज/संबंधित वेब पोर्टल पर अपलोड करेगा।

मेरे हस्ताक्षर और बाल कल्याण समिति की मुहर के अधीन।

तारीख.....

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष/सदस्य

बाल कल्याण समिति

अनुलग्नक:

आदेश की प्रति गृह का विवरण तथा पिछला अभिलेख, मामले का इतिहास और वैयक्तिक देखरेख योजना, जो भी लागू हो: